



भारत सरकार  
Government of India  
खान मंत्रालय  
Ministry of Mines  
भारतीय खान ब्यूरो  
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09001

पंजीकृत पावती  
उल्लंघन पत्र  
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र  
Makhupura Industrial Area  
अजमेर-305 002 (राजस्थान)  
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)  
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

संख्या : RAJ/CHT/LST-9/ Vol-II

दिनांक : 01.07.2022

प्रेषित : एजेंट, जय सुरजना चूना पत्थर खान

बिड़ला सीमेंट वर्क्स (बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक ईकाई),

पोस्ट सीमेंट फैक्ट्री, सेक्टर III माधव नगर,

चंदेरिया, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312021

Email: [kashi.singh@birlacorp.com](mailto:kashi.singh@birlacorp.com), [Narendra.menaria@birlacorp.com](mailto:Narendra.menaria@birlacorp.com)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Jai Surjana Limestone Mine** (M.L. 10/83, Lease area 588.59Hect) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 07.05.2022 by the undersigned in presence of Sh. Kashi Kant Sing, Agent(Mines) & Sh. Narendra Menaria, Sr. Manager(Geology).

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified mining Plan (Approved on 19.07.2021): - 1) Benches have not been developed systematically as per approved proposal in Jai pit no.2

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेल द्वारा)।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।
- 3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तौड़गढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

भवदीय  
दाय (14/3/22)  
6/10/2022  
( डी. आर. गुर्जर )  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो